झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 26.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री सरयू राय स0वि0स0	टाटा लीज नवीकरण समझौता-2005 के तहत जमशेदपुर की करीब 100 ऐसी बस्तियों को लीज से अलग कर दिया गया, जो टाटा लीज भूखंड पर बसी हुई थी। राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या-150/सर्वे दिनांक- 15.06.2006 के आलोक में उपायुक्त-सह बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-208/एस0 दिनांक- 18.08.2009 द्वारा ऐसे भूखंडों का सर्वेक्षण किया गया और विभागीय अधिसूचना संख्या- 150/सर्वे, राँची, दिनांक- 15.06.2006 के द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कुल-16 वार्डों में ऐसे भूखंडों पर बसी बस्तियों का खतियान तैयार करने की अधिसूचना निर्गत की गई। परन्तु ऐसी बस्तियों का खतियान नहीं तैयार कर विभागीय संकल्प संख्या-817/रा0, दिनांक- 22.02.2018 एवं विभागीय पत्रांक- 4064/रा0, दिनांक- 25.10.2019 द्वारा उक्त भूखंडों के अवैध दखलकारों के साथ अधिकतम 10 डिसमिल तक आवासीय भूमि की लीज बंदोबस्ती करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		क्षितिज चन्द्र बोस बनाम आयुक्त, राँची के मुकदमा में दिनांक- 06.02.1981 को सर्वोच्च न्यायालय ने राँची नगर निगम की भूमि पर उनके प्रतिकुल कब्जा को मान्यता दिया है (**संदर्भ 1981 Air 707,1981 SCR [2] 764**)। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाईज का रजिस्ट्रेशन निबंधन एवं शर्त्ते) अधिनियम-1998 के अनुसार इन्दौर नगर निगम ने पत्रांक- 712/का0/सेल/10, दिनांक- 11.06.2016 द्वारा वहाँ की बृज बिहारी नायक अवैध कॉलोनी को नियमित किया है। इसी प्रकार भारत सरकार के आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक- 29 अक्टूबर, 2019 द्वारा दिल्ली के समृद्ध वर्गो द्वारा बसाई गयी अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितिकरण किया गया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ और राज्य सरकार से टाटा लीज नवीकरण समझौता-2005 में लीज से अलग की गई बस्तियों को तथा अवैध दखल का वैध खतियान रखने वाले परिवारों के कब्जा में स्थित भूखंडों को सरकार द्वारा नियमित करने, राजस्व विभाग के संकल्प संख्या-817/रा0, दिनांक- 22.02.2018 को रद्द करने तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-150/सर्वे, दिनांक- 15.06.2006 के अनुरूप जमशेदपुर की बस्तियों में वर्षो से बसे बाशिन्दों के भूखंडों का खतियान उनके नाम पर तैयार करने की माँग करता हूँ।	
02-	**श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0**	धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी प्रखण्ड के लुकैया में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप लाइन के माध्यम से टुंडी एवं पूर्वी टुंडी के गाँवों में पेयजल आपूर्ति के उदेश्य से ग्रामीण जलापूर्ति योजना, लुकैया का आधारशिला लगभग 3 वर्ष पूर्व	**पेयजल एवं स्वच्छता**

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		रखा गया था, परन्तु अभी तक उक्त योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है तथा कार्य में काफी अनियमितता बरती जा रही है। विदित हो की ग्रामीण जलापूर्ति योजना, लुकैया का संचालन ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का निवारण हेतु किया गया था, परन्तु वर्त्तमान में कार्य अति शिथिल है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए ग्रामीण जलापूर्ति योजना, लुकैया के कार्यो के गुणवत्ता की जाँच करते हुए यथाशीघ्र सुचारू रूप से संचालित कराया जाय।	
03-	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा स0वि0स0 श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह स0वि0स0 श्री केदार हजरा स0वि0स0**	राज्य के 48 नगर निकायों/नगर पंचायतों का कार्यकाल गत वर्ष दिनांक- 27 अप्रैल 2023 को समाप्त हो चुका है। नगर निकायों/नगर पंचायतों का चुनाव नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्रों में विकास का काम ठप है। प्रशासक के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है, जो सही नहीं है। नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद काफी समय बीतने पर भी चुनाव नहीं कराया गया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में करीब 1600 करोड़ रू0 पर राज्य सरकार का दावा शेष है। वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों को अनुदान स्वीकृत किया जाता है, चुनाव नहीं होने पर किसी भी नगर निकायों/नगर पंचायत के लिए अनुदान की राशि रोक दी जाती है, जिससे विकास के कार्य बंद हो जाते हैं। राज्य के नगर निकायों का चुनाव पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब तक नहीं हो पा रहा है। सरकार यदि चुनाव	**नगर विकास एवं आवास**

01.	02.	03.	04.
		कराने में असमर्थ है, तो पुरानी व्यवस्था को वैकल्पीक व्यवस्था के तौर पर जारी रखते हुए 15वें वित्त आयोग की शेष राशि को लाकर रूके हुए विकास के कार्यो पर खर्च करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	
04-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	झारखण्ड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संचिका-10 AAY-47/2023 ग्रा0वि0-4545, दिनांक-20.10.2023 के क्रमांक-(5) में उल्लेख है कि अब तक अबुआ आवास योजना में प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रखण्ड में सत्यापन कर प्राथमिकता सूची तैयार की जानी है। प्रखण्ड कार्यालय में प्राथमिकता सूची जो तैयार की गई उसमें जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए वगैर मनमानी तरीके से लाभूकों की प्राथमिकता सूची तैयार की गई जिसमें एकल महिला प्रधान परिवार एवं दिव्यांग परिवार के लाभुकों का ख्याल विल्कुल नहीं रखा गया है। संकल्प पत्र के क्रमांक-(3) (ख) में यह उल्लेख है कि प्रतिक्षा सूची तैयार करते समय दो या दो से अधिक परिवारों को यदि समान अंक मिलते है तो ऐसी स्थिति में (क) दिव्यांग सदस्य वाले परिवार को तथा (ख) एकल महिला एवं (ग) महिला प्रधान परिवार जिसमें कोई व्यस्क पुरूष सदस्य नहीं है को प्राथमिकता देना है, लेकिन किसी भी प्रखण्ड में उसका अनुपालन नहीं किया गया है तथा मनमानी तरीके से प्रखण्ड कार्यालय के द्वारा लाभुकों की प्रतिक्षा सूची तैयार की गई है जिसके कारण जिनको आवास पहले मिलना चाहिए व पीछे चला गया तथा जिनको आवास बाद में मिलना चाहिए अथवा जो लाभुक योग्य है वैसे लाभुक पहले नम्बर पर आ गये। संकल्प में ग्राम सभा को ही प्रखण्ड द्वारा तैयार की गयी सूची को अनुमोदन करना है लेकिन प्रखण्ड मुख्यालय के द्वारा गड़बड़ी	ग्रामीण विकास

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		करने के कारण ग्राम सभा के द्वारा अलग प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है और आमूमन लगभग झारखण्ड के सभी जिलों में यही स्थिति है लेकिन ग्राम सभा के द्वारा तैयार की गई सूची को दर किनार कर वर्त्तमान में प्रखण्ड मुख्यालय के द्वारा तैयार की गई सूची पर ही आवास का आवंटन किया जा रहा है, जो नियमसंगत नहीं है। अतः मैं सरकार से सदन के माध्यम से ग्राम सभा के द्वारा योग्य लाभुकों की चयन प्राथमिकता सूची के आधार पर ही अबुआ आवास का आवंटन करने की मांग करता हूँ।	
05-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	झारखण्ड में उर्दू भाषा से ताल्लूकात रखने वालों की संख्या काफी है। इसलिए सरकार ने द्वितीय राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। लेकिन इन 23 वर्षो में सरकार की नीतियों एवं निर्णयों के कारण उर्दू एक कोने में सिमटती जा रही है। साथ ही अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) से जुड़े हुए कई मसलों का समाधान न होने के कारण अल्पसंख्यक समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। यथा- (1)-झारखण्ड राज्यकीयकृत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली- 2024 (Drafted) में पूर्व से उर्दू शिक्षकों के सृजित 4401 पदों का **Dying Cadre** घोषित करने का निर्णय (2)-उर्दू एकेडमी का गठन न होना (3)-मदरसा बोर्ड का गठन न होना (4)-अल्पसंख्यक वित्त निगम का गठन न होना (5)-वक्फ बोर्ड को पुनर्जिवित न करना (6)-हज कमिटि को पुनर्जिवित न करना इत्यादि मसलों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

राँची,
दिनांक- 26 फरवरी, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-2886/वि0 स0, राँची, दिनांक-23/02/24

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2024

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-2886/वि0 स0, राँची, दिनांक- 23/02/24.

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

23/02/2024

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

23/02/24